DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL) MAIN WRITTEN EXAM-2023

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 20
कुल प्रश्नों की संख्या : 20

No. of Printed Pages : 06
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 06

First Question Paper
प्रथम प्रश्न–पत्र

CONSTITUTION, CIVIL LAW & PROCEDURE
संविधान, व्यवहार विधि एवं प्रक्रिया

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case there is any variance either printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। किसी प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक भिन्नता होने की दशा में, अंग्रेजी रूपांतर को मानक माना जायेगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book / Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका/अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक या किसी भी रूप में पहचान का कोई चिन्ह अथवा कोई भी क्रमांक या नाम या चिन्ह अंकित करना, जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग किया/ पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or illegible in view of Valuer then the valuation of such Answer Book may not be considered.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक

THE CONSTITUTION OF INDIA
भारत का संविधान

1. The judicial review is a "basic feature" of the Constitution and it could not taken away by putting any law under the Ninth Schedule. Explain this statement in the light of judgment passed by Constitutional Bench of Supreme Court in I. R. Coelho Vs State of T.N., (2007) 2 SCC 1. 5

   न्यायिक संवीक्षा संविधान का एक "आधारभूत लक्षण" है और किसी विधि को नौंवी सूची में रखने से इसे नहीं छीना जा सकता। इस कथन को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा आई. आर. कोल्हो विरूद्ध तमिलनाडू राज्य, (2007) 2 एस सी सी 1 के मामले में पारित निर्णय के आलोक में स्पष्ट कीजिये।

2. Explain the "other authorities" within the territory of India or under the control of Government of India under Article 12 of the Constitution of India. 5

   भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन "अन्य प्राधिकारियों" को स्पष्ट कीजिए।

CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

3. Explain with reference of relevant legal provisions - 5

   (i) When service of notice is not necessary in appeal on any respondent ?

   (ii) When appeal dismissed for default is re-admitted ?

   सुसंगत विधिक प्रावधानों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए –

   (i) कब अपील में किसी भी प्रत्यर्थी पर सूचना की तामीली आवश्यक नहीं है ?

   (ii) व्यतिक्रम के लिए खारिज की गई अपील कब पुनर्ग्रहित की जाती है ?

4. What is the nature of proceedings under Section 144 of Code 5

of Civil Procedure, 1908 ? Who may apply for restitution ? Whether *res judicata* applies to such proceeding ?

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 144 की कार्यवाही की प्रकृति क्या है ? प्रत्यास्थापन के लिये कौन आवेदन कर सकता है ? क्या ऐसी कार्यवाही पर रेस–ज्युडिकेटा प्रयोज्य होता है?

5. Which issues can be decided as preliminary issues ? Whether recording of evidence is required for adjudication of a preliminary issue ? Explain in the light of relevant provision with case law. 5

कौन से वादप्रश्नों का निराकरण प्रारंभिक वादप्रश्नों के रूप में किया जा सकता है ? क्या प्रारंभिक वादप्रश्नों के विनिश्चय के लिए साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने की आवश्यकता है ? सुसंगत विधिक प्रावधान के प्रकाश में न्यायदृष्टांत सहित समझाईये।

6. Whether without filing a cross objection, an issue or any finding decided against the respondent can be assailed before the appellate Court at the time of final hearing ? Explain with the help of case law. 5

क्या प्रत्यर्थी के विरूद्ध निर्णित कोई विवाद्यक अथवा दिया गया निष्कर्ष, अपीलीय न्यायालय के समक्ष अंतिम सुनवाई के समय, बिना प्रत्याक्षेप प्रस्तुत किये आक्षेपित किया जा सकता है ? न्यायदृष्टांत की सहायता से समझाईये।

THE TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

7. Explain rights and properties which are non-transferable ? 5

ऐसे अधिकार एवं संपत्तियां समझाईये जो अहस्तांतरणीय हैं ?

8. Enumerate the cases in which writing is necessary for a conveyance after the commencement of the Transfer of Property Act, 1882. Explain the cases in which Transfer can be effected by a oral contract. 5

उन मामलों को प्रगणित कीजिए जिनमें संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के लागू होने के पश्चात अन्तरण का लिखित में होना आवश्यक है। उन मामलों की व्याख्या कीजिए जिनमें मौखिक अनुबंध द्वारा अन्तरण प्रभावी किया जा सकता है।

9. Explain under what conditions transfer of property can be made in favor of unborn person ? 5

किन दशाओं में संपत्ति का अंतरण अजात व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है, समझाईये ?

THE INDIAN CONTRACT ACT, 1872
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

10. What is the scope of Contract of Indemnity under the Indian Contract Act, 1872 ? 5

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की संविदा का विस्तार क्या है ?

11. Whether principle of Force Majeure clause is included in the Indian Contract Act, 1872, explain. 5

क्या अप्रत्याशित घटना खण्ड संबंधी सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में शामिल हैं, समझाईये।

12. Which provisions of the Indian Contract Act, 1872 is applicable when limits of liquidated damages are stipulated for, in a contract, Explain ? 5

किसी संविदा में, नगद क्षति की सीमा के निबंधन होने की स्थिति में भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 का कौन–सा प्रावधान लागू होता है, व्याख्या कीजिए ?

THE HINDU MARRIAGE ACT, 1955 & THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

13. Explain meaning and concept of obstructed heritage "Sapratibandha Daya" and unobstructed heritage 5

"Apratibandha Daya".

बाधित विरासत "सप्रतिबंध दया" और अबाधित विरासत "अप्रतिबंध दया" का अर्थ और अवधारणा स्पष्ट करें।

14. Whether in a suit for dissolution of marriage filed by the husband, counter claim by wife under section 23-A of the Hindu Marriage Act, 1955, is maintainable to declare second marriage of her husband void ab initio ? Explain. 5

क्या विवाह के विघटन हेतु पति के द्वारा प्रस्तुत वाद में, प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा पति के दूसरे विवाह को प्रारम्भ से शून्य घोषित कराने हेतु, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा–23–ए के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिदावा पोषणीय है ? समझाईये।

15. What are the exceptions of general rules of succession to property of a female Hindu, who dies intestate after the commencement of the Hindu Succession Act, 1956 ? 5

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारंभ के उपरांत एक हिन्दू नारी की निर्वसीयत मृत्यु पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार के साधारण नियम के अपवाद क्या हैं ?

THE SPECIFIC RELIEF ACT, 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

16. Under which sections of the Specific Relief (Amendment) Act, 2018 specific performance of a contract can be enforced by Court ? Explain. 5

न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 की किन धाराओं के अंतर्गत किसी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन किया जा सकता है ? समझाईये।

17. Explain the scope and ambit of relief of declaration under the Specific Relief Act, 1963 ? What is the effect of such declaration? 5

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अंतर्गत घोषणा की परिधि एवं विस्तार

समझाईये ? ऐसी घोषणा का क्या प्रभाव होगा ?

THE LIMITATION ACT, 1963
परिसीमा अधिनियम, 1963

18. What is Legal "disability" ? "Once time has begun to run no subsequent disability stops it" discuss. 5

विधिक निर्योग्यता क्या है ? "एक बार समय चलना शुरू हो गया तो कोई भी पश्चातवर्ती निर्योग्यता उसे नहीं रोकती" चर्चा कीजिये।

19. What is the limitation period for filing an application for execution of foreign award under the Limitation Act, 1963 ? Explain in the light of relevant legal provision with case law. 5

किसी विदेशी पंचाट के निष्पादन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत परिसीमा क्या है ? सुसंगत विधिक प्रावधान के प्रकाश में न्यायदृष्टांत सहित समझाईये।

THE MADHYA PRADESH ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961
मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

20. As per the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 under what circumstances defence may be struck out? What would be the consequence of striking out defence ? 5

मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत किन परिस्थितियों में प्रतिरक्षा काटी जा सकती है ? प्रतिरक्षा काटी जाने के परिणाम क्या होंगे ?

*****

DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL) MAIN WRITTEN EXAM-2023

कुल प्रश्नों की संख्या : 5
Total No. of Questions : 5

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 09
No. of Printed Pages : 09

Second Question Paper
द्वितीय प्रश्न–पत्र

ARTICLE & SUMMARY WRITING
लेख और सारांश लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Please, adhere to the word limit of answers as specified in question paper.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ प्रश्न के उत्तर की शब्द–सीमा प्रश्न के साथ दी गई है, उसका अवश्य पालन करें।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book / Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका/अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक या किसी भी रूप में पहचान का कोई चिन्ह अथवा कोई भी क्रमांक या नाम या चिन्ह अंकित करना, जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग किया/ पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. In case there is any variance either printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.
   किसी प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक भिन्नता होने की दशा में, अंग्रेजी रूपांतर को मानक माना जायेगा।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or illegible in view of Valuer then the valuation of such Answer Book may not be considered.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.1- Write an article either in English or in Hindi on the following *Social* topic :
निम्नलिखित सामाजिक विषय पर अंग्रेजी या हिन्दी में लेख लिखिए : —10

The Culture of Freebie : A Critical Analysis

मुफ्त उपहार संस्कृति : एक आलोचनात्मक विश्लेषण

Q.2- Write an article either in English or in Hindi on the following *legal* topic:
निम्नलिखित विधिक विषय पर अंग्रेजी या हिन्दी में लेख लिखिए : —10

Justice for Victim - Role of Judiciary

पीड़ित के लिए न्याय – न्यायपालिका की भूमिका

Q.3- Summarize the following legal passage into English (In around 1/3rd words of the passage given) :-
निम्नलिखित विधिक गद्यांश का अंग्रेजी में संक्षिप्तीकरण कीजिए (दिये गये गद्यांश के लगभग 1/3 शब्दों में) :– —20

Every activity that may be necessary for exercise of freedom of speech and expression or that may facilitate such exercise or make it meaningful and effective cannot be elevated to the status of a fundamental right as if it were part of the fundamental right of free speech and expression. Otherwise, practically every activity would become part of some fundamental right or the other and the object of making certain rights only as fundamental rights with different permissible restrictions would be frustrated.

Freedom of movement across frontiers in either direction, and inside frontiers as well, was a part of our heritage. Travel abroad, like travel within the country, may be necessary for livelihood. It

may be as close to the heart of the individual as the choice of what he eats, or wears, or reads. Freedom of movement is basic in our scheme of values. Freedom of movement has been a part of our ancient tradition which always upheld the dignity of man and saw in him the embodiment of the Divine. The Vedic seers knew no limitations either in the locomotion of the human body or in the flight of the soul to higher planes of consciousness.

Even in the post-Upanishadic period, followed by the Buddistic era and the early centuries after Christ, the people of this country went to foreign lands in pursuit of trade and business or in search of knowledge or with a view to shedding on others the light of knowledge imparted to them by their ancient sages and seers. India expanded outside her borders : her ships crossed the ocean and the fine superfluity of her wealth brimmed over to the east as well as to the west. Her cultural messengers and envoys spread her arts and epics in South-East Asia and her religions conquered China and Japan and other far Eastern countries and spread westward as far as Palestine and Alexandria. Even at the end of the last and the beginning of the present century, our people sailed across the seas to settle down in the African countries.

Freedom of movement at home and abroad is a part of our heritage and, as already pointed out, it is a highly cherished right essential to the growth and development of the human personality and its importance cannot be over-emphasised. But it cannot be said to be part of the right of free speech and expression. It is not of the same basic nature and character as freedom of speech and

expression. When a person goes abroad, he may do so for a variety of reasons and it may not necessarily and always be for exercise of freedom of speech and expression. Every travel abroad is not an exercise of right of free speech and expression and it would not be correct to say that whenever there is a restriction on the right to go abroad, *ex necessitate* it involves violation of freedom of speech and expression.

Q.4- Translate the following 30 Sentences into English :-
निम्नलिखित 30 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :— **—30**

(1) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मृत्युकालीन कथन सत्य है और स्वेच्छया किया गया है, तो संपुष्टि के बिना भी उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ।

(2) ऐसा प्रतीत होता है कि यह इस प्रकार की संदेहजनक युक्ति अपनाकर भ्रम पैदा करने और अवांछित फायदा उठाने का सुविचारित प्रयास है।

(3) जहाँ न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मुख्य बातों से ध्यान हटाते हुए न्याय की दिशा को मोड़ने का प्रयास किया गया है, वहाँ न्यायालय को दूषित पहल को गंभीरता से लेना होता है।

(4) लोक अभियोजक न केवल साक्ष्य की कमी के आधार पर बल्कि न्याय, लोक व्यवस्था, शांति और प्रशांति जैसे व्यापक उद्देश्यों को अग्रसर करने की दृष्टि से अन्य सुसंगत कारणों से भी अभियोजन वापस ले सकेगा।

(5) चाहे सरकारी सेवक को यह कितनी भी कठोर और प्रपीड़क प्रतीत हो, इस न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि दूसरे परन्तुक में अंतर्निहित उद्देश्य लोक नीति, लोक हित और लोक कल्याण है।

(6) मिथ्या साक्ष्य देने के लिये अन्वेषण अधिकारी एवं साक्षीगण के अभियोजन हेतु निर्देश उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दिया जा सकता है।

(7) आस्था और विश्वास को किसी भी न्यायिक जांच के माध्यम से विनिश्चित नहीं किया जा सकता।

(8) भारतीय समाज के सामाजिक ताने–बाने में धर्म की गहरी पैठ के कारण भी धार्मिक

स्वतंत्रता के अधिकार को निरपेक्ष नहीं बनाया गया था।

(9) संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी नियंत्रित संविधान को अनियंत्रित संविधान में बदला जा सकता है।

(10) संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रदान की गयी है कि अपराध के सभी दोषियों को कारागार में डालकर समाज के प्रति न्याय किया जाये।

(11) वह अपराध के सभी अपराधियों को निरूद्ध करने के द्वारा समाज के प्रति न्यायालय की आबद्धता के निर्वहन को समर्थ बनाते हुये अलंघनीय शक्ति है।

(12) निर्णयाधार के नियम का सुसंगतता के लिये अनुपालन किया जाता है, परंतु वह प्रशासनिक विधि में उतना सुदृढ़ नहीं है, जितना लोक विधि में होता है। विधि भी न्याय के समक्ष झुक जाती है।

(13) अपराध बड़ी संख्या में पीड़ितों को प्रभावित करता है जो शारीरिक, सामाजिक, वित्तीय या भावनात्मक चोट या क्षति झेलते हैं, जिन्हें न्याय तक आसान पहुंच प्रदान करके तुरंत निवारण की आवश्यकता होती है।

(14) संबंधित साक्षियों के साक्ष्य पर विवेकपूर्ण संवीक्षा को लागू करने के द्वारा विचार किया जाना चाहिये।

(15) न्याय ऐसा सद्गुण है, जो सभी अवरोधों को समाप्त कर देता है, न तो प्रक्रिया के नियम, न ही विधि की तकनीकें उसमें बाधा डाल सकती हैं।

(16) कोई मामला जमानत देने के लिये उपयुक्त है या नहीं, इसका निर्धारण करने में कई कारकों का संतुलन शामिल है, जिसमें अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और अभियुक्त की संलिप्तता का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

(17) यदि न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री आरोपी के खिलाफ गम्भीर संदेह का खुलासा करती है, जिसे पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया गया है, तो न्यायालय आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढाने में पूरी तरह से न्याय संगत होगी।

(18) भले ही भूदान धारक धारा–33 के अंतर्गत भूमि स्वामी के अधिकार अर्जित कर लेता है, लेकिन वह अधिनियम की धारा–30 के अंतर्गत यथा उपबंधित के सिवाय उसकी भूमि का कोई भी हित अंतरित नहीं कर सकता।

(19) सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्षित किया है कि आरोप पत्र का, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा भी अनुमोदन अथवा हस्ताक्षरित होना अपेक्षित है एवं इसके बिना

किसी भी अन्य प्राधिकारी के द्वारा उसे जारी नहीं किया जा सकता।

(20) मध्यक्षेपकर्ता द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर, प्राधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया था एवं आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, ऐसी परिस्थितियों में परिवादी/मध्यक्षेपकर्ता को मामले में मध्यक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

(21) भले ही कटघरे में पहचान, पुलिस द्वारा पहचान परेड से पहले न हुई हो, तब भी वह ग्राह्य है क्योंकि यह सारभूत साक्ष्य है और यदि साक्षी विश्वसनीय पाया जाता है तो इस पर विश्वास किया जा सकता है।

(22) पुलिस अन्वेषण में घटनास्थल का नक्शा, जप्ती पत्रक, स्थिर छायाचित्र इत्यादि को सामान्यतः साक्ष्य का पर्याप्त भाग माना जाता है।

(23) जब दो दृष्टिकोण संभव हों एवं विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के पक्ष वाला दृष्टिकोण लिया है तो उस पर केवल इस आधार पर विघ्न नहीं डालना चाहिये कि एक अन्य दृष्टिकोण संभव था।

(24) अपीलार्थीगण को अपीलीय न्यायालय के समक्ष दण्डादेश के प्रश्न पर तर्क करते समय अभिलेख पर सभी सुसंगत सामग्री प्रस्तुत करने के लिये समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये।

(25) अपीलार्थी के विरूद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन है कि उसने मृतक पर न केवल हमला किया बल्कि उसे फर्जी नाम से चिकित्सालय में भर्ती कराया एवं फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया।

(26) आरोप पत्र, किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु यह सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रतीत होता है, जो अधिनियम की धारा–2 (7) के अनुसार एक ''आबकारी अधिकारी'' होता है।

(27) एक न्यायाधीश सभी न्यायिक कर्तव्यों को, जिनमें आरक्षित निर्णयों को सुनाना भी है, प्रभावी रूप से ऋजुतापूर्वक, युक्तियुक्त, शीघ्रता से निष्पादित करेगा।

(28) एक न्यायाधीश का व्यवहार एवं आचरण लोगों का न्यायपालिका में विश्वास पुनःस्थापित करने वाला होना चाहिए।

(29) सर्वशक्तिमान से प्रतिदिन प्रार्थना करें कि वह आपको सत्यनिष्ठा, बुद्धि और विनम्रता के साथ न्याय करने की शक्ति और साहस प्रदान करे।

(30) न्यायिक नैतिकता के सिद्धांतों को जानना ही काफी नहीं है। नैतिकता के उन सिद्धांतों का निरंतर और चौकन्ने रहकर व्यवहार भी करें।

Q.5- Translate the following 30 Sentences into Hindi :-
निम्नलिखित 30 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : —30

(1) The concept of cruelty depends upon the type of life, the parties are accustomed to or their economic and social conditions.

(2) Religion' is not necessarily theistic. A religion has its basis in a system of beliefs and doctrines.

(3) It is also a trite law that a study has to be undertaken before a section of the people can be identified as being belonging to Backward Class people.

(4) There is overwhelming evidence including the evidence of the injured witness to the effect that all the three appellants fired at the victim.

(5) The power of the court under Order 18 Rule 17 CPC is discretionary and has to be exercised with the greatest care and only in exceptional circumstances.

(6) On hearing a cry of her husband, Seema came out. The appellant threatened her at the point of a knife asking her not to shout.

(7) It is travesty of justice, as the appellant was not given a fair opportunity to defend himself.

(8) The person sought to be made liable should be in charge of and responsible for the conduct of the business of the company at the relevant time.

(9) Rules of natural justice imply fairness, reasonableness, equity and equality.

(10) In the pursuit for expeditious disposal, the cause of justice must never be allowed to suffer or be sacrificed.

(11) Mental cruelty is the conduct of other spouse which causes mental

suffering or fear to the matrimonial life of the other.

(12) The disciplinary authority is not bound by the judgment of the criminal court if the evidence that is produced in the department inquiry is different from that produced during the criminal trial.

(13) The extreme penalty of death need not be inflicted except in gravest cases of extreme culpability.

(14) The courts have to display a greater sense of responsibility and to be more sensitive while dealing with charges of sexual assault on women.

(15) In considering the question of custody of a minor, the court has to be guided by the only consideration of the welfare of the child.

(16) Under the law the burden is placed in the first place upon the wife to show that the means of her husband are sufficient.

(17) It is a safeguard for the protection of the people against the vagaries of the legislature and the executive.

(18) The mortgagor's right of redemption and the mortgagee's right of foreclosure are coextensive.

(19) A Judge who genuinely feels that a settlement is appropriate in a case and pursues his suggestions with the parties, should recuse himself from hearing it, if the settlement does not materialize.

(20) It is settled that a little difference in facts, an additional fact or a different statute applicable in a given case may make a lot of difference in the precedential value of a decision.

(21) Finger print analysis is scientific analysis, credibility of which is not liable to be questioned without there being any extraordinary reasons.

(22) Apex court concluded that the doctrine of legitimate expectations cannot be pressed into service, where public interest is likely to suffer against personal interest of a party.

(23) When there is a challenge to lack of inherent jurisdiction, same can be raised at any stage even in execution and collateral proceeding.

(24) Eviction petition cannot be rejected on mere assertion of tenant in application under Order 7 Rule 11 CPC regarding lack of bonafide requirement of landlord.

(25) Pension and gratuity are not bounties but are hard earned properties of employee by rendering his services to the department and are declared to be a constitutional right.

(26) If accused destroys or conceals the weapon of offence, then he cannot take advantage of his own misdeed and this would not give any dent to prosecution case.

(27) Where indiscriminate firing took place and people were running helter-skelter for saving their lives, 3 died and 10 injured, then minute description of incident would certainly create doubt.

(28) It is the golden rule of interpretation that hardship, inconvenience, injustice, absurdity and anomaly are to be avoided.

(29) Apex Court concluded that mistake or error apparent on the face of record means that mistake or error which is prima facie visible and does not require any detail examination.

(30) It cannot be disputed that an unstamped or insufficiently stamped document can be admitted in evidence on taking deficit stamp duty and penalty as adjudicated under the Stamp Act.

*****

DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL) MAIN WRITTEN EXAM-2023

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 20
कुल प्रश्नों की संख्या : 20

No. of Printed Pages : 07
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 07

Third Question Paper
तृतीय प्रश्न–पत्र
LOCAL LAWS, CRIMINAL LAW & PROCEDURE
स्थानीय विधियाँ, अपराध विधि एवं प्रक्रिया

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case there is any variance either printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। किसी प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक भिन्नता होने की दशा में, अंग्रेजी रूपांतर को मानक माना जायेगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book / Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका/अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक या किसी भी रूप में पहचान का कोई चिन्ह अथवा कोई भी क्रमांक या नाम या चिन्ह अंकित करना, जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग किया/ पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or illegible in view of Valuer then the valuation of such Answer Book may not be considered.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./ प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक

INDIAN PENAL CODE, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860

1. When civil wrong committed by a person will become an offence of cheating under Indian Penal Code, 1860 ? Explain. 5

   कब एक व्यक्ति द्वारा कारित दीवानी अपकार भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत छल का अपराध बन जायेगा ? समझाईये।

2. Explain the death due to medical negligence and criminal liability, with the help of relevant provisions and case law ? 5

   चिकित्सीय उपेक्षा के कारण मृत्यु एवं आपराधिक दायित्व को विधिक प्रावधानों एवं न्यायदृष्टांत की सहायता से स्पष्ट कीजिये ?

3. Will a man having physical relations with a woman under the promise of marriage and later not marrying her constitute the offence of rape ? Explain with relevant case law. 5

   क्या एक स्त्री के साथ विवाह का वादा करके बनाये गये शारीरिक संबंध और बाद में उसके साथ विवाह न किया जाना बलात्संग का अपराध गठित करेगा ? सुसंगत न्यायदृष्टांत सहित समझाईये।

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

4. Write any five irregularities which vitiate proceedings ? 5

   कोई भी पॉच अनियमितताएं लिखिए जो कार्यवाही को दूषित करती हैं ?

5. Whether charge sheet is a public document? Does the right of accused to be provided with the copy of charge sheet 5

extends to all documents filed with the charge sheet ? Explain with relevant legal provision and case law.

क्या अभियोग पत्र एक लोक दस्तावेज है ? क्या अभियोग पत्र की प्रति प्राप्त करने का अभियुक्त का अधिकार अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेजों तक विस्तारित है ? सुसंगत विधिक प्रावधान एवं न्यायदृष्टांत सहित समझाईये।

6. Whether police can register a First Information Report for offence under Section 195A of Indian Penal Code, 1860 ? Analyse. 5

क्या पुलिस भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 195–क के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर सकती है ? विश्लेषण करें।

7. Under which circumstances after the addition of a new charge at the stage of judgment, court may proceed to declare judgment ? Explain with specific legal provision. 5

किन परिस्थितियों में न्यायालय, निर्णय के प्रक्रम पर नया आरोप परिवर्धित करने के उपरांत निर्णय सुनाने के लिए अग्रसर हो सकता है ? विनिर्दिष्ट विधिक प्रावधान के साथ समझाईये।

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

8. Under what conditions presumption under Section 110 of the Indian Evidence Act, 1872 will apply ? Explain with case law ? 5

किन परिस्थितियों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 110 की उपधारणा लागू होती है ? न्यायदृष्टान्त सहित समझाईये ?

9. Discuss the evidentiary value of documents made ante litem motam under section 35 of the Indian Evidence Act, 1872. 5

विधिक वाद प्रारम्भ होने से पूर्व बनाए गये दस्तावेजों के साक्ष्यिक मूल्य की भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–35 के अंतर्गत चर्चा कीजिए।

10. What is the standard of proof required to displace the presumption in favor of paternity of child born during subsistence of a legal marriage ? Explain in the light of Section 112 of Indian Evidence Act, 1872 with relevant case law. 5

एक वैध विवाह के अस्तित्व के दौरान जन्मे बच्चे के पितृत्व के पक्ष में उपधारणा को विस्थापित करने के लिए किस श्रेणी का प्रमाण आवश्यक है ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 के प्रकाश में सुसंगत न्यायदृष्टांत सहित समझाईये।

THE SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

11. Name any five rights of victims under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 ? 5

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पीड़ितों के किन्हीं पॉच अधिकारों का उल्लेख करें ?

12. Explain the legal position of section 3(2) (V) & section 8 of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 before and after amendment of year 2016 ? 5

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(V) एवं धारा 8 की वर्ष 2016 के संशोधन के पूर्व की एवं पश्चात् की विधिक स्थिति स्पष्ट कीजिये ?

13. Explain with the help of case law the difference between "Place in public view" and "Public place" under the 5

Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 ?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत ''लोक दृष्टि में आने वाले स्थान'' तथा ''लोक स्थान'' के मध्य विभेद सुसंगत न्यायदृष्टांत की सहायता से समझाईये ?

THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

14. Explain whether presumption under Section 30 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 casts a burden on the accused to rebut it beyond reasonable doubt ? 5

समझाईये कि क्या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–30 की उपधारणा अभियुक्त पर उसे युक्तियुक्त संदेह से परे खण्डित करने का भार अधिरोपित करती है ?

15. Write the prescribed guidelines for media reporting in cases of child sexual abuse ? 5

बालक यौन दुर्व्यवहार के मामलों को मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग करने के लिए विहित दिशा निर्देशों को लिखिए ?

16. Define "Sexual assault" and "Sexual harassment" as per the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 ? What provision for punishment made in the act for these offences ? 5

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत ''लैंगिक हमला'' और ''लैंगिक उत्पीड़न'' को परिभाषित करें ? इन अपराधों के लिये अधिनियम के अंतर्गत दण्ड के क्या प्रावधान हैं ?

THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985
स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

17. Whether confessional statement recorded under Section 67 of the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 is admissible in trial of offence under the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 ? Explain with case law ? 5

क्या स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अन्तर्गत अभिलिखित संस्वीकृति कथन स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अपराध के विचारण में ग्राह्य हैं ? न्यायदृष्टांत के साथ समझाईये ?

18. Describe the process of drawing of samples under Section 52A of the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985. Whether the provision of Section 52A of the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 is mandatory or not ? 5

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52ए के अंतर्गत नमूने लेने की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्या स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52ए का प्रावधान आज्ञापक है अथवा नहीं ?

19. What are the penal provisions for punishment for contravention in relation to manufactured drugs and preparations under the Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 ? 5

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत विनिर्मित ओषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड के क्या प्रावधान हैं ?

THE NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

20. Explain whether "Proceeding of Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 can be said to be a civil sheep in a criminal wolf's clothing" ? 5

समझाईये कि क्या "परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 की कार्यवाही को आपराधिक भेड़िए के भेष में एक सिविल भेड़ कहा जा सकता है" ?

*****

DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL) MAIN WRITTEN EXAM-2023

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 04
Total No. of Questions : 04

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 16
No. of Printed Pages : 16

Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case there is any variance either printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। किसी प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक भिन्नता होने की दशा में, अंग्रेजी रूपांतर को मानक माना जायेगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book / Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका/अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक या किसी भी रूप में पहचान का कोई चिन्ह अथवा कोई भी क्रमांक या नाम या चिन्ह अंकित करना, जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग किया/ पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or illegible in view of Valuer then the valuation of such Answer Book may not be considered.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

SETTLEMENT OF ISSUES

Q.1 Frame the issues on the basis of the pleadings given hereunder - 10 Marks

PLAINTIFF'S PLEADINGS -

The Plaintiffs are workers at A B C Private Ltd. Company Dewas. The Plaintiffs' allegation is that the M.P. Housing Board has allotted 62 LIG Houses to the workers of the Company including the Plaintiffs on 24-12-1985 under the hire purchase scheme and since then the Plaintiffs are residing in the suit houses and 10% amount is being deducted from their wages towards the installment. The hire purchase scheme was for 15 years, but the Company is continue to deduct the amount even thereafter and by exercising undue influence, the Company has got the agreements executed from the Plaintiffs showing the allotment of the suit houses in favour of the Company and effecting the title of the Plaintiffs. Company has got the sale deed dated 11-10-2004 executed from the Board in favour of the Company in respect of the sale of 62 houses. Hence, the Plaintiffs have claimed that they be declared the title holder on the basis of the hire purchase scheme and also prayed for declaring agreement and the sale deed as null and void and prayed for a mandatory injunction to the Company and the Board to execute the sale deed of the suit houses in favour of the Plaintiffs and prayed for permanent injunction restraining the defendant from interfering in possession and use of the suit houses by the Plaintiffs.

DEFENDANT'S PLEADINGS -

The A B C Private Ltd. Company Dewas by filing the written statement has denied the plaint averments and has taken the plea that the Company is the owner of the suit houses and the suit houses were allotted to the Plaintiffs Workmen for their residence during the course of employment, therefore, as and when they have left the employment, the houses were vacated and were allotted to other Workmen and those employees who have not vacated the houses

after their retirement, against them penal action is also taken which has been maintained till the Supreme Court. It is also pleaded that earlier dispute in respect of the penalty amount has arisen between the Company and the Board and the Writ Petition was filed and thereafter the sale deed has been executed in favour of the Company and as per the agreement, the amount has been deducted from the wages of the Plaintiffs towards the use of the houses.

निम्नांकित अभिवचन के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादीगण के अभिवचन –

वादीगण क ख ग प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी देवास में कर्मकार हैं। वादीगण का अभिकथन है कि मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने वादीगण सहित कम्पनी के कर्मकारों को 62 एलआईजी मकानों का आवंटन भाड़ा क्रय योजना के अन्तर्गत 24.12.1985 को किया और तब से ही वादीगण वाद भवनों में निवास कर रहे हैं और उनके वेतन से 10 प्रतिशत राशि किश्तों के रूप में काटी जा रही है। भाड़ा क्रय योजना 15 वर्ष की अवधि के लिए थी, किन्तु कम्पनी द्वारा उसके उपरान्त भी निरन्तर राशि की कटौती की जा रही है और असम्यक प्रभाव का उपयोग करते हुये कम्पनी ने वादग्रस्त भवनों का आवंटन कंपनी के पक्ष में होना दर्शाने वाला करार वादीगण से निष्पादित करवा लिया है और वादीगण के स्वत्व को प्रभावित करते हुये बोर्ड से कम्पनी के पक्ष में 62 मकानों के विक्रय के संबंध में 11.10.2004 को विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया है। अतः वादीगण ने दावा किया कि उन्हें भाड़ा क्रय योजना के आधार पर स्वत्वधारी घोषित किया जाए और साथ ही करार एवं विक्रय पत्र शून्य एवं निष्प्रभावी किये जाने की घोषणा और कम्पनी तथा बोर्ड को वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त भवनों का विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने का आज्ञापक व्यादेश जारी करने और प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त मकानों पर वादीगण के आधिपत्य और उपयोग में हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थायी व्यादेश का अनुतोष चाहा है।

प्रतिवादी के अभिवचन –

क ख ग प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी देवास ने लिखित कथन प्रस्तुत करते हुये वादपत्र के अभिकथनों से इन्कार किया और अभिवाक लिया कि वादग्रस्त भवनों की कम्पनी ही स्वामी है और वादग्रस्त भवन मजदूरों के नियोजन के दौरान निवास हेतु वादीगण मजदूरों को आवंटित किये गये थे। इसलिये जब और जैसे ही उन्होंने नियोजन से अपने को पृथक किया तो उनके द्वारा मकानों को रिक्त कर दिया गया

और मकान अन्य मजदूरों को आवंटित कर दिये गये तथा जिन कर्मचारियों ने सेवा निवृत्ति के उपरान्त भी भवनों को रिक्त नहीं किया उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही भी की गई, जो उच्चतम न्यायालय तक बरकरार रही। यह भी अभिवचन लिया गया कि पूर्व में शास्ति की राशि के संबंध में कम्पनी और बोर्ड के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ तथा याचिका संस्थित की गई थी और तत्पश्चात् कम्पनी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित हुआ और करार के अनुसार भवनों के उपयोग के बदले वादीगण के वेतन से राशि की कटौती की गई।

FRAMING OF CHARGES

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of facts given here under - 10 Marks

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS -

The case of the prosecution in brief is as follows that the complainant Bijendra Mehto is a resident of village Rampur police station Raghopur district Aurangabad. The accused are people of the same village and they have a dispute with the complainant regarding land. On the midnight of 01.01.2006, the deceased complainant was sleeping with his wife and two children in the room of his house. He woke up at 1 o'clock in the night when he heard the sound of many people walking. He saw in the moderate light of the night that they were equipped with deadly weapons like axe, farsa, etc. Among those people, accused Jagat Rai (A1) was already known to the complainant and apart from him, 10-11 other persons had entered inside his house. Before the complainant could run away, accused Jagat Rai and two or three other persons caught hold of him and threw him on the ground. The other three-four accused climbed on top of him. At the same time, accused Jagat Rai (A1) instructed the people accompanying him to surround the entire house from all sides and pour kerosene oil on it. The accused closed the door of the room in which the complainant's wife and children were sleeping and the accused set the house on fire. After this, the accused poured kerosene oil on the body of the complainant and accused Jagat Rai (A1) lit fire on the complainant with a matchstick. When the flames

started rising, the accused started running away from there. At the same time the complainant also tried to run away, but could not succeed. He started shouting, hearing his voice his four brothers and other family members, who lived in the adjacent house, got up and reached the spot and saw the accused running away. By then the complainant's house was burning and the complainant's wife got burnt in the fire. The complainant was taken to the district hospital, where he died within 10 hours of the incident.

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन –

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बिजेन्द्र मेहतो ग्राम रामपुर पुलिस थाना राघोपुर जिला औरंगाबाद का एक निवासी है। आरोपीगण उसी के गॉव के लोग हैं और उनका फरियादी से जमीन को लेकर विवाद है। दिनॉक 01.01.2006 की मध्य रात को, मृतक फरियादी अपने घर के कमरे में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सो रहा था। रात्रि के 1 बजे कई लोगों के चलने की आवाज सुनने पर वह जाग गया। उसने रात्रि की मध्यम रोशनी में देखा कि वह लोग कुल्हाड़ी, फर्सा आदि घातक हथियार से सुसज्जित थे। उन लोगों में से आरोपी जगत राय (ए1) को फरियादी पहले से पहचानता था, उसके अलावा 10–11 अन्य व्यक्ति उसके घर के अंदर घुस आये। इसके पहले कि फरियादी भाग पाता, आरोपी जगत राय व अन्य दो या तीन व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अन्य तीन–चार आरोपी उसके उपर चढ़ गये। इसी समय आरोपी जगत राय (ए1) ने अपने साथ आये लोगों को पूरा घर चारों तरफ से घेर लेने का तथा उस पर मिट्टी का तेल डालने का निर्देश दिया। आरोपीगण द्वारा उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, जिसमें फरियादी की पत्नी और बच्चे सो रहे थे और आरोपीगण ने उस घर में आग लगा दी। इसके पश्चात् आरोपीगण ने फरियादी के शरीर पर मिट्टी का तेल डाल दिया और आरोपी जगतराय (ए1) ने फरियादी को माचिस की तीली से आग लगा दी। जब आग की लपटें बढ़ने लगी तब आरोपीगण वहॉ से भागने लगे। उसी समय फरियादी ने भी भागने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसने चिल्लाना शुरू किया, उसकी आवाज सुनकर उसके 4 भाई और घर के अन्य सदस्य, जो कि बगल के घर में रहते थे, उठ गये और घटनास्थल पर पहुँचे और उन्होंने आरोपीगण को भागते देखा। तब तक फरियादी का घर जल रहा था और आग में फरियादी की पत्नी झुलस गई थी। फरियादी को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहॉ पर उसकी मृत्यु घटना के 10 घंटे के अंदर हो गयी।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :- - 40 Marks

01. **Plaintiff's Pleadings** :- Plaintiff has filed this suit for declaration of title and possession and partition regarding agriculture land bearing khasra no. 201, 202 and 203 area 1.4 hectare, 0.5 hectare and 2.1 hectare total 4 hectare respectively situated at village Sultanpur claiming title and possession of half share in suit property.

02. As per plaintiff's case, defendant no. 1 is her real brother, late Tejlaal, late Surjabai and late Sitaram were their father, mother and grandfather respectively. They had died in the year of 1995, 1998 and 1990 respectively. Both parties are governed by Mitakshara school of Hindu Law. Late Sitaram was the original owner of suit land. Suit land is coparcenary property. Plaintiff and defendant have joint ownership and possession over suit land.

03. She is legal heir of late Tejlaal and is entitled to get half share in suit land. After the death of her father, in revenue records name of defendant was recorded with connivance of revenue authority without giving information to her. When she came to know about this mutation, she filed Revenue appeal no. 20/2003 before Sub-Divisional Officer which has been allowed and name of defendant has been deleted from revenue record.

04. Market value of suit property is more than two crores. Suit is within limitation. Sufficient court fee has been paid. Defendant is trying to dispossess her. Plaintiff has prayed to grant decree of declaration of title, possession and partition to the extent of 1/2 share in her favour.

05. **Defendant's Pleadings** :- Defendant has filed written statement and denied all material facts averred by plaintiff. As per his case, he is in possession over suit land before the death of his father. Marriage of plaintiff performed in the year 1996, since then she is living with her husband in village Khurd. Due to death of father he had incurred the expenditure of marriage and education of plaintiff, a lot of money was given to plaintiff in her marriage. He had also given financial assistance to husband of plaintiff, in lieu of these plaintiff has relinquished her right in his favour.

06. Thereupon, his name was recorded in revenue record with the consent of plaintiff vide order dated 14.04.2002 passed in mutation panji number 30/2002. Sub-Divisional Officer has allowed time barred appeal. Against the order of Sub-Divisional Officer defendant has filed appeal which is pending before Additional Commissioner.

07. Defendant admitted that suit land is ancestral property, late Sitaram was the owner of the property and plaintiff is his sister. Valuation and jurisdiction of court has not been challenged.

08. **Plaintiff's Evidence** :- Statements of plaintiff (PW-1), Rajkishore (PW-2), Roshan (PW-3) and Divakar Singh (PW-4) were recorded on behalf of plaintiff.

09. Rajkishore (PW-2), Roshan (PW-3) and Divakar Singh (PW-4) are family members of father of plaintiff. They have deposed that plaintiff (PW-1) is daughter of Tejlaal and Sitaram was her grandfather and partition never took place between parties.

10. Plaintiff (PW-1) has filed khasra of the year 1970-71 to 1973-74 (Ex.P.-1), khasra of the year 1989-90 to 1993-94 (Ex.P.-2), khasra of the year 1996-97 (Ex.P.-3) and order of Sub-Divisional Officer (Ex.P.-4) passed in appeal. Sitaram's name was initially recorded in these khasras, after his death Tejlal's name was entered. As per these khasra entries after the death of Sitaram, name of Tejlaal was recorded in revenue record. Sitaram was the original owner of suit land. By order of Sub-Divisional Officer, name of defendant was deleted.

11. **Defendant's Evidence** :- Defendant (D.W.-1) examined himself, and produced Veer Singh (D.W.-2), Rajsingh (D.W.-3) and Munna Singh (D.W.-4), who have stated that defendant spent money on the marriage of plaintiff and her education. He also gave money to Plaintiff's husband. Plaintiff is living with husband, she has relinquished her right in favour of defendant. Name of defendant was recorded in revenue record with the consent of plaintiff. Plaintiff executed relinquishment (Ex. D-2) in their presence. Defendant is in exclusive possession of suit land.

12. Defendant has produced khasra of the year 2000-2001 to 2004-05 (Ex. D-1), unregistered deed of relinquishment (Ex. D-2) and mutation panji (Ex. D-3) with ordersheets (Ex. D-4) and (Ex. D-5). As per khasra entry and mutation panji name of defendant was recorded in revenue record.

13. **Arguments of Plaintiff** :- Suit land is ancestral property of both parties. She has inherited Suit land from her father. Under section 6 of Hindu Succession Act, 1955, she has half share in property. Mutation does not create right in favour of a person.

14. **Arguments of Defendant** :- Mutation order was passed in favour of defendant with consent of plaintiff. She has executed deed of relinquishment (Ex. D-2) in favor of defendant. Sub-Divisional Officer allowed time barred appeal. Plaintiff has no right in suit land. Father of parties had died before coming into effect of the Amendment Act. Therefore title would not be created if favour of plaintiff in coparcenary property.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य की विवेचना करते हुए निर्णय, विवाद्यक विरचित करने के पश्चात् संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखकर लिखिये –

1. **वादी के अभिवचन** :– वादी ने हक तथा कब्जे की घोषणा और विभाजन का यह वाद ग्राम सुलतानपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 201, 202 और 203 क्षेत्रफल क्रमशः 1.4 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर और 2.1 हेक्टेयर कुल 4 हेक्टेयर के संबंध में वाद भूमि के आधे भाग पर हक एवं कब्जे का दावा करते हुए प्रस्तुत किया है।

2. वादी के मामले के अनुसार प्रतिवादी कमांक 1 उसका सगा भाई है, स्वर्गीय तेजलाल, स्वर्गीय सूरजा बाई एवं स्वर्गीय सीताराम उसके क्रमशः पिता, माता एवं पितामह थे। उनकी मृत्यु क्रमशः सन् 1995, 1998 एवं 1990 में हुई थी। उभयपक्ष हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से प्रशासित होते हैं। स्वर्गीय सीताराम

वादभूमि का मूल स्वामी था। वादभूमि सहदायिकी संपत्ति है। वादी एवं प्रतिवादी वादभूमि पर संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य रखते हैं।

3. वह स्वर्गीय तेजलाल की विधिक उत्तराधिकारी है और वादग्रस्त भूमि में आधा भाग प्राप्त करने की अधिकारी है। उसके पिता की मृत्यु के बाद, राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी का नाम राजस्व अधिकारियों की दुरभिसंधी से उसे सूचना दिए बिना अभिलिखित कर दिया गया। जब उसे इस नामांतरण की जानकारी हुई, उसने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष राजस्व अपील नंबर 20/2023 फाइल की जिसे स्वीकार किया गया और प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किया जा चुका है।

4. वादग्रस्त भूमि का बाजार मूल्य दो करोड़ रूपए से अधिक है। वाद परिसीमा में है। पर्याप्त न्यायशुल्क का संदाय किया गया है। प्रतिवादी उसे बेदखल करने का प्रयत्न कर रहा है। वादी ने हक एवं आधिपत्य की घोषणा तथा 1/2 भाग के संबंध में विभाजन की डिक्री अपने पक्ष में पारित किए जाने की प्रार्थना की है।

5. **<u>प्रतिवादी के अभिवचन</u>** :– प्रतिवादी ने लिखित कथन फाईल किया और वादी द्वारा अभिकथित सभी तात्विक तथ्यों को अस्वीकार किया। उसके मामले के अनुसार, वह पिता की मृत्यु के पहले से ही वाद भूमि पर काबिज है। वादी का विवाह सन 1996 में सम्पन्न हुआ था, तब से वह अपने पति के साथ ग्राम खुर्द में रह रही है। पिता की मृत्यू होने के कारण उसने वादी के विवाह एवं शिक्षा पर हुये खर्च का वहन किया था, वादी को विवाह में भी काफी धन दिया गया था। उसने वादी के पति को भी आर्थिक सहयोग किया था, इन सब के बदले में वादी ने उसका अधिकार उसके पक्ष में त्याग दिया था।

6. इसके बाद उसका नाम वादी की सहमति से नामांतरण पंजी क्रमांक 30/2002 में पारित आदेश दिनाँक 14.02.2002 द्वारा राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय बाधित अपील स्वीकार की थी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी ने अपील फाईल की है जो अतिरिक्त आयुक्त के यहाँ लंबित है।

7. प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि वाद भूमि पैतृक संपत्ति है, स्वर्गीय सीताराम इसके मूल भूमि स्वामी थे और वादी उसकी बहन है। वाद के मूल्यांकन एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती नहीं दी गई है।

8. **<u>वादी की साक्ष्य</u>** :– वादी (वा.सा.–1), राजकिशोर (वा.सा.–2), रोशन (वा.सा.–3) और दिवाकर सिंह (वा.सा.–4) के कथन वादी की ओर से अभिलिखित किये गये थे।

9. राजकिशोर (वा.सा.–2), रोशन (वा.सा.–3) और दिवाकर सिंह (वा.सा. –4) वादी के पिता के परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने वादी (वा.सा.–1) का तेजलाल की पुत्री एवं सीताराम का उसका पितामाह होने एवं पक्षकारों के मध्य कभी भी बंटवारा नहीं होने की साक्ष्य दी है।

10. वादी (वा.सा.–1) ने खसरा वर्ष 1970–71 से 1973–74 (प्र.पी.–1), खसरा वर्ष 1989–90 से 1993–94 (प्र.पी.–2), खसरा वर्ष 1996–97 (प्र.पी.–3) और अनुविभागीय अधिकारी का अपील में पारित आदेश (प्र.पी.–4) प्रस्तुत किया है। इन खसरों में प्रारम्भ में सीताराम का नाम अभिलिखित था उसकी मृत्यु के बाद तेजलाल का नाम लिखा गया था। इन खसरों प्रविष्टियों के अनुसार सीताराम की मृत्यु के पश्चात तेजलाल का नाम राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किया गया था। सीताराम वादभूमि का मूल भूमि स्वामी था। अनुवभिागीय अधिकारी के आदेश द्वारा प्रतिवादी का नाम विलोपित किया गया था।

11. **<u>प्रतिवादी की साक्ष्य</u>** :– प्रतिवादी (प्रति. सा.–1) ने स्वयं का परीक्षण कराया है और वीर सिंह (प्रति. सा.–2), राज सिंह (प्रति. सा.–3) और मुन्ना सिंह (प्रति. सा.–4) को प्रस्तुत किया है, जिनके द्वारा यह बताया गया है कि प्रतिवादी ने वादी के विवाह एवं शिक्षा पर धनराशि व्यय की थी। उसने वादी के पति को भी धन दिया था। वादी उसके पति के साथ निवासरत है, उसने प्रतिवादी के हित में अपने अधिकार का अभित्याग कर दिया है। प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेख में वादी की सहमति से लेख किया गया था। वादी ने उनके समक्ष अभित्याग विलेख (प्र.डी.–2) निष्पादित किया था। प्रतिवादी वाद भूमि के अनन्य आधिपत्य में है।

12. प्रतिवादी ने खसरा वर्ष 2000–2001 से वर्ष 2004–05 (प्र.डी.–1), अपंजीकृत अभित्याग विलेख (प्र.डी.–2) एवं नामांतरण पंजी (प्र.डी.–3), सहित आदेश पत्रिकाएँ (प्र.डी.–4) और (प्र.डी.–5) प्रस्तुत की है। खसरा प्रविष्टि एवं नामांतरण पंजी के अनुसार प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया गया था।

13. **<u>तर्क वादी</u>** :– वाद भूमि उभयपक्षों की पैतृक संपत्ति है। उसने वाद भूमि को अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 की धारा 6 के अनुसार उसका सम्पत्ति में आधा भाग है। नामान्तरण किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं करता है।

14. **<u>तर्क प्रतिवादी</u>** :– प्रतिवादी के पक्ष में नामांतरण आदेश वादी की सहमति से पारित किया गया था। वादी ने अभित्याग विलेख (प्र.डी.–2) उसके पक्ष में निष्पादित की थी। अनुविभागीय अधिकारी ने समय बाधित अपील मंजूर की है। वादी वाद भूमि में कोई अधिकार नहीं रखती है। पक्षकारों के पिता की संशोधन

अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। इस कारण वादी के पक्ष में सहदायिक संपत्ति में हक उत्पन्न नहीं होगा।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Q.4 Frame the charge on the basis of the given facts and write a judgement with reasons on the basis of allegations, evidence and arguments given hereunder, keeping in mind the relevant provisions of the concerned laws. - 40 Marks

Prosecution Case **:-**

(a) The marriage of V, the daughter of Y and Z, was solemnized with A1 on 13.08.2013. A2 and A3 are respectively the mother and father of A1. V was subjected to cruelty and harassment by the accused on the pretext that she was not only ugly looking but had also not brought sufficient dowry with her. Ultimately, on 07.11.2015 about 5:30 in the evening, her mother-in-law, A2, sprinkled kerosene over her body and set her ablaze by throwing a lit matchstick. As a result, entire body of V was severely burnt. She was first taken by her neighbour B to the Police Station where her report was scribed by Assistant Sub Inspector P. Thereupon, a case under Sections 498-A and 307 read with Section 34 of the Indian Penal Code was registered.

(b) V was immediately sent to Hamidia Hospital, Bhopal where she was admitted for treatment. At 07:10 PM, her dying declaration was recorded by Assistant Sub Inspector P in the hospital only. Thereafter, at 07:40 PM, another dying declaration was documented by the Executive Magistrate M. On the next date only, she succumbed to the burn injuries. Accordingly, the case was converted into the case of murder.

(c) Deputy Superintendent of Police D, after conducting inquest proceedings, in presence of panch witnesses Q, R, S, T and U, sent the dead body for postmortem. Autopsy Surgeon S found 3rd to 4th degree burns on her body and, in his opinion, the cause of V's death was shock due to burn injuries.

(d) Investigating Officer E, in presence of panch witnesses W and X inspected the spot and seized the burnt skin, hair, clothes, etc alongwith the container of kerosene. After completing the investigation, charge-sheet was filed against the accused for the offences punishable under section 498-A, 304-B and 302 read with Section 34 of the Indian Penal Code in the Court of Chief Judicial Magistrate, Bhopal who committed the case to the Court of Session for trial.

Defence Plea **:-**

On being charged with the offences punishable under Sections 498-A, 302 and in the alternative 304-B read with 34 of the Indian Penal Code, all the accused abjured the guilt. According to them, V was burnt in an accident while cooking.

Evidence of prosecution **:-**

(a) Prosecution examined as many as eight witnesses. Amongst them Y and Z respectively mother and father of the deceased, have deposed that ever since her marriage their daughter V was persistently subjected to cruelty and harassment by the accused due to non-fulfillment of demand of Rs. 2,00,000/- (Two Lacs) in cash and a motorcycle as additional dowry, immediately after her marriage.

(b) B, the neighbour of the accused, has stated that on hearing hue and cry when she reached the house of the accused, found V lying in severely burnt condition and in such a situation, she immediately took her in an auto- rickshaw to the hospital.

(c) Assistant Sub Inspector P proved the First Information Report and the dying declaration scribed by him, whereas the Executive Magistrate M also corroborated the fact that in her dying declaration she had disclosed that her mother-in-law had set her on fire after pouring kerosene on her body.

(d) Deputy Superintendent of Police D, Autopsy Surgeon S and the Investigating Officer E corroborated the facts regarding inquest report, postmortem and investigation respectively and panch witness W proved the contents of map and seizure memo prepared at the spot.

Defence Evidence **:-**

The defence has produced two witnesses, namely, D-1 and D-2 in evidence to substantiate the plea that the deceased was all alone in the house at the time of the alleged incident.

Arguments of Prosecutor **:-**

From the evidence on record, all the charges against the accused are proved.

Arguments of accused **:-**

Prosecution evidence is not sufficient to prove any charge beyond reasonable doubt. Moreover, the probability of defence was clearly established.

दिये गये तथ्यों के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये आक्षेपों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर सकारण निर्णय संबंधित विधि के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :–

(अ) **च** एवं **छ** की पुत्री **क** का विवाह अ–1 के साथ दिनांक 13.08.2013 को संपन्न हुआ था। **अ–2** एवं **अ–3** क्रमशः अ–1 के माता–पिता है। **क** को तीनों अभियुक्तगणों द्वारा इस कारण परेशान किया जाता था कि वह न केवल देखने में कुरूप थी बल्कि अपने साथ पर्याप्त दहेज भी नहीं लाई थी। अंततः, दिनांक 07.11.2015 को करीब 5:30 बजे शाम को उसकी सास अ–2 ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाल दिया और माचिस की एक जलती हुई तीली फेंककर आग लगा दी। परिणामस्वरूप, **क** का पूरा शरीर गंभीर रूप से जल गया था। उसको पड़ोसन **ब** द्वारा सर्वप्रथम थाना ले जाया गया था जहाँ उसकी रिपोर्ट सहायक उप निरीक्षक **प** द्वारा लिखी गई। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क एवं 307 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।

(ब) क को तुरंत हमीदिया अस्पताल, भोपाल ले जाया गया जहाँ उसको उपचार हेतु भर्ती किया गया। शाम 7.10 पर, उसका मृत्युकालिक कथन अस्पताल में ही सहायक उप निरीक्षक **प** द्वारा अभिलिखित किया गया। तत्पश्चात् शाम 7.40 पर, दूसरा मृत्युकालिक कथन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट म द्वारा लेखबद्ध किया गया। अगले ही दिन उसकी मृत्यु जलने से उत्पन्न चोटों के कारण हो गई थी। तदनुसार, मामला हत्या के प्रकरण में संपरिवर्तित किया गया।

(स) उप–पुलिस अधीक्षक ड ने, पंच साक्षीगण त, थ, द, ध एवं न के समक्ष मृत्यु समीक्षा के उपरांत मृतिका के शव को परीक्षण के लिए भेजा। शव परीक्षक डॉक्टर स ने मृतिका के शरीर पर तृतीय से चतुर्थ डिग्री तक के जलने के घाव पाये थे और, उसके मत में, क की मृत्यु का कारण जलने के घावों से उत्पन्न सदमा था।

(द) अनुसंधान अधिकारी ई ने, पंच साक्षी ग एवं घ के समक्ष घटना स्थल का निरीक्षण कर, जली हुई त्वचा, बाल, कपड़े आदि के अतिरिक्त मिट्टी के तेल की कुप्पी भी जब्त की। अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात्, अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क, 304–ब एवं 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिन्होंने प्रकरण को विचारण के लिए सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :–

भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क, धारा 302 एवं विकल्प में धारा 304–ख सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्तगण ने दोषिता को अस्वीकार किया। उनके अनुसार क खाना बनाते समय हुई दुर्घटना में जल गई थी।

अभियोजन की साक्ष्य :–

(अ) अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ साक्षीगण का परीक्षण कराया गया, जिनमें से मृतिका के माता–पिता च एवं छ ने अभिसाक्ष्य दिया कि विवाह के तुरंत बाद से ही अतिरिक्त दहेज के रूप में 2,00,000/– (दो लाख) रूपये नगद तथा एक मोटरसाइकिल की मांग की पूर्ति नहीं होने के कारण उनकी पुत्री को अभियुक्तगण द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था।

(ब) अभियुक्तगण की पड़ोसन ब द्वारा बताया गया कि जब वह हल्ला सुनकर अभियुक्तगण के घर पर पहुंची तो उसने क को गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में

पड़ी हुई पाया था और ऐसी स्थिति में वह उसे तुरंत एक ऑटोरिक्शा में अस्पताल ले गयी थी।

(स) सहायक उप निरीक्षक **प** ने उसके द्वारा लिखित प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं मृत्युकालिक कथन को प्रमाणित किया, जबकि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट म ने इस तथ्य की संपुष्टि की है कि क ने अपने मृत्युकालिक कथन में यह बताया था कि उसकी सास अ–2 ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी।

(द) उप पुलिस अधीक्षक ड शव परीक्षक डॉक्टर स एवं अनुसंधान अधिकारी ई ने क्रमशः मृत्यु समीक्षा, शवपरीक्षण एवं अनुसंधान से संबंधित तथ्यों को सिद्ध किया एवं पंच साक्षी ग ने नक्शा मौका तथा वहां पर तैयार किये गये जब्ती पत्रक की अंतर्वस्तुओं को सिद्ध किया।

बचाव साक्ष्य :–

बचाव पक्ष ने इस अभिवाक् कि कथित घटना के समय मृतिका घर में अकेली थी, को सिद्ध करने के लिये दो साक्षीगण डी–1 एवं डी–2 को साक्ष्य में प्रस्तुत किया।

अभियोजक के तर्क :–

अभिलेखगत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध समस्त आरोप प्रमाणित है।

बचाव पक्ष के तर्क :–

अभियोजन साक्ष्य किसी भी आरोप को युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, बचाव की संभावना स्पष्टतया स्थापित की गई है।

****